भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.557

दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास

557. श्रीमती झरना दास बैद्य: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के माध्यम से सभी ग्रामों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान पंचायतों की आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

पंचायती राज, राज्य मंत्री

(श्री परषोत्तम रूपाला)

(क) संविधान का अनुच्छेद 243जी पंचायतों को शक्तियों का अंतरण और जिम्मेदारियां प्रदान करता है कि वे ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध आर्थिक और सामाजिक न्याय के मामलों पर योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन हेतु स्वशासन संस्थान के रूप में कार्य करते हुए उन्हें सक्षम बनाये ।

भारत सरकार पंचायतों को वित्तीय संसाधनों को संपूरित कराने के लिए निधियों का अंतरण करती है । भारत सरकार चौदहवां वित्त आयोग (एफएफसी) वर्ष 2015-2020 की अवधि के 200, 292. 20 करोड़ रू की राशि विशेष रूप से भाग IX के अन्तर्गत गठित पंचायतों को पांच वर्ष की अवधि के दौरान मूल सेवाएं- स्थानीय निकायों के लिए विश्वसनीय डाटाबेस बनाना, लेखापरीक्षित लेखाओं द्वारा प्राप्ति एवं व्यय और ग्राम पंचायतों का स्व स्त्रोत कर और गैर कर राजस्व में सुधार के लिए पर्याप्त अनुदान के रूप में उपलब्ध करा रही है ।

इसके साथ पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को अग्रसक्रिय सहयोग भी प्रदान कर रहा है- (i) अभिसारी स्थानीय विकास योजनाओं को विकसित करने और पंचायतों के पास उपलब्ध निधियों को संस्थागत सहयोग ढांचा के लिए ईष्टतम रूप से इस्तेमाल करना (ii) पंचायतों के कार्यकलापों में सुधार लाने हेतु बजटन, लेखांकन और मैनुअलों की लेखा परीक्षा को विकसित करना और (iii) सुधारात्मक रूप से कार्य करने के लिए पंचायतों के विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग । ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अन्तर्गत पिछड़ा जिलों की पहचान करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गई, जिससे कि वे महत्वपूर्ण विकास अंतरालों को भर सकें । वर्ष 2015-16 से बीआरजीएफ के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी गई है ।

(ख) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (17-11-2016 तक) के लिए राज्यवार अनुदानों का आवंटन और निर्मुक्त को **अनुबंध I से VI** तक दिया गया है ।

****

अनुबंध-I

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 557 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तेरहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज) के लिए आवंटन और निर्मुक्ति

(रू. लाख में)

क्र.सं	राज्य	सामान्य मूल अनुदान			
		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	79939.48	54859.75	48982.34	119330.84
2	अरुणाचल प्रदेश	4190.69	1614.00	4580.48	3632.58
3	असम	24129.44	24129.44	26373.78	26373.78
4	बिहार	75775.14	75775.14	82823.18	82823.17
5	छत्तीसगढ़	25552.70	25552.70	27929.42	27929.42
6	गोवा	1383.72		1512.42	
7	गुजरात	35686.80	51899.21	39006.11	39006.11
8	हरियाणा	16617.82	16617.82	18163.48	18163.49
9	हिमाचल प्रदेश	8513.17	12380.68	9305.00	9305.00
10	जम्मू-कश्मीर	14048.05	14048.05	15354.70	15354.70
11	झारखंड	23193.78	23193.78	25351.09	25351.09
12	कर्नाटक	68896.08	68896.08	75304.27	75304.27
13	केरल	29822.46	43370.72	32596.32	32596.35
14	मध्य प्रदेश	62926.31	62926.31	68779.25	31458.34
15	महाराष्ट्र	84103.82	84103.82	91926.52	91926.52
16	मणिपुर	3347.28		3658.62	11196.39
17	मेघालय	4783.72	2073.31	5228.66	2073.31
18	मिजोरम	3083.72	1336.51	3370.54	1336.52
19	नगालैंड	4665.11		5099.03	1797.00
20	ओडिशा	39627.11	39627.11	43312.92	43312.92
21	पंजाब	17210.84	14918.70	18811.66	36022.50
22	राजस्थान	60237.94	60237.94	65840.82	65840.82
23	सिक्किम	2820.15	2721.77	3082.46	2920.79
24	तमिलनाडु	47165.08	47165.08	51552.02	51552.02
25	तेलंगाना			38392.51	55139.36
26	त्रिपुरा	4480.62	2035.53	4897.37	4480.62
27	उत्तर प्रदेश	149705.33	149705.33	163629.79	163629.78
28	उत्तराखंड	9040.30	12958.46	9881.16	9881.16
29	पश्चिम बंगाल	63387.55	28796.78	69283.39	63387.54
	कुल	964334.24	920944.02	1054029.33	1111126.39

अनुबंध-II

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 557 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तेरहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज) के लिए आवंटन और निर्मुक्ति

(रू. लाख में)

क्र.सं	राज्य	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान			
		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	590.00		224.26	448.52
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00		0.00	
3	असम	730.00	730.00	730.00	730.00
4	बिहार	0.00		0.00	
5	छत्तीसगढ़	2110.00	2110.00	2110.00	2110.00
6	गोवा	0.00		0.00	
7	गुजरात	1440.00	2160.00	1440.00	1440.00
8	हरियाणा	0.00		0.00	
9	हिमाचल प्रदेश	30.00	45.00	30.00	30.00
10	जम्मू-कश्मीर	0.00		0.00	
11	झारखंड	3500.00	1750.00	3500.00	3500.00
12	कर्नाटक	0.00		0.00	
13	केरल	0.00		0.00	
14	मध्य प्रदेश	2650.00	2847.00	2650.00	1128.00
15	महाराष्ट्र	790.00	790.00	790.00	790.00
16	मणिपुर	180.00		180.00	630.00
17	मेघालय	460.00		460.00	
18	मिजोरम	180.00		180.00	
19	नगालैंड	400.00		400.00	
20	ओडिशा	2160.00	2160.00	2160.00	2160.00
21	पंजाब	0.00		0.00	
22	राजस्थान	360.00	360.00	360.00	360.00
23	सिक्किम	0.00		0.00	
24	तमिलनाडु	0.00		0.00	
25	तेलंगाना			365.74	365.74
26	त्रिपुरा	240.00	120.00	240.00	360.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00		0.00	
28	उत्तराखंड	0.00		0.00	
29	पश्चिम बंगाल	160.00	80.00	160.00	160.00
	कुल	15980.00	13152.00	15980.00	14212.26

अनुबंध-III

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 557 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तेरहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज) के लिए आवंटन और निर्मुक्ति

(रू. लाख में)

क्र.सं	राज्य	सामान्य निष्पादन अनुदान (जब्त राशि सहित)			
		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	54587.07	101940.75	33380.35	54213.65
2	अरुणाचल प्रदेश	2861.64	510.30	3121.49	
3	असम	16476.91	4655.02	17973.13	7825.00
4	बिहार	51743.43	77083.62	56442.12	42646.72
5	छत्तीसगढ़	17448.78	24489.50	19033.26	8287.00
6	गोवा	944.88	166.14	1030.68	
7	गुजरात	24368.91	4391.03	26581.78	11574.00
8	हरियाणा	11347.56	15917.38	12378.00	5672.93
9	हिमाचल प्रदेश	5813.26	5244.69	6341.15	5812.83
10	जम्मू-कश्मीर	9592.78	1732.68	10463.88	4556.00
11	झारखंड	15837.99	14322.07	17276.20	7522.00
12	कर्नाटक	47046.03	86480.61	51318.15	22344.00
13	केरल	20364.41	27465.38	22213.65	20147.75
14	मध्य प्रदेश	42969.54	57498.87	46871.50	41892.77
15	महाराष्ट्र	57430.71	23167.97	62645.84	84705.71
16	मणिपुर	2285.71	2979.28	2493.27	1086.00
17	मेघालय	3266.59	593.39	3563.22	
18	मिजोरम	2105.73	1766.20	2296.95	
19	नगालैंड	3185.60	569.65	3474.87	
20	ओडिशा	27059.56	4877.60	29516.77	
21	पंजाब	11752.51	15279.81	12819.72	5581.00
22	राजस्थान	41133.78	57739.25	44869.03	20563.81
23	सिक्किम	1925.76	344.16	2100.63	915.00
24	तमिलनाडु	32206.91	5803.27	35131.54	15296.00
25	तेलंगाना			26163.62	33563.73
26	त्रिपुरा	3059.61	2642.03	3337.45	1529.58
27	उत्तर प्रदेश	102227.02	232396.88	111509.99	48551.00
28	उत्तराखंड	6173.22	1115.55	6733.79	
29	पश्चिम बंगाल	43284.50	36283.93	47215.06	43284.50
	कुल	658500.37	807457.01	718297.10	487570.98

अनुबंध-IV

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 557 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तेरहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज) के लिए आवंटन और निर्मुक्ति रू. लाख में)

क्र.सं	राज्य	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान			
		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	590.00	1755.98	224.26	447.24
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00		0.00	
3	असम	730.00	898.64	730.00	347.00
4	बिहार	0.00		0.00	
5	छत्तीसगढ़	2110.00	5248.13	2110.00	1002.00
6	गोवा	0.00		0.00	
7	गुजरात	1440.00	663.25	1440.00	684.00
8	हरियाणा	0.00		0.00	
9	हिमाचल प्रदेश	30.00	53.64	30.00	30.00
10	जम्मू-कश्मीर	0.00		0.00	
11	झारखंड	3500.00	5034.11	3500.00	1663.00
12	कर्नाटक	0.00		0.00	
13	केरल	0.00		0.00	
14	मध्य प्रदेश	2650.00	5273.71	2650.00	1259.00
15	महाराष्ट्र	790.00	1170.22	790.00	1360.00
16	मणिपुर	180.00	305.04	180.00	86.00
17	मेघालय	460.00	211.53	460.00	
18	मिजोरम	180.00	126.17	180.00	90.00
19	नगालैंड	400.00	182.89	400.00	
20	ओडिशा	2160.00	993.78	2160.00	
21	पंजाब	0.00		0.00	
22	राजस्थान	360.00	541.01	360.00	531.00
23	सिक्किम	0.00		0.00	
24	तमिलनाडु	0.00		0.00	
25	तेलंगाना			365.74	446.76
26	त्रिपुरा	240.00	347.73	240.00	240.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00		0.00	
28	उत्तराखंड	0.00		0.00	
29	पश्चिम बंगाल	160.00	72.71	160.00	
	कुल	15980.00	22878.54	15980.00	8186.00

<u>अनुबंध -V</u>

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 557 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>चौदहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज) के लिए मूल अनुदानों का आवंटन और निर्मुक्ति</u>

(रू. करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
		* वार्षिक आवंटन	कुल निर्मुक्ति	* वार्षिक आवंटन	कुल निर्मुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	#आंध्र प्रदेश	934.34	928.41	1293.75	642.77
2	अरुणाचल प्रदेश	88.52	88.52	122.58	0.00
3	असम	584.80	292.40	809.76	0.00
4	बिहार	2269.18	2269.18	3142.08	0.00
5	छत्तीसगढ़	566.18	566.18	783.98	391.99
6	गोवा	14.44	7.22	20.00	0.00
7	गुजरात	932.25	932.25	1290.86	645.43
8	हरियाणा	419.28	419.28	580.57	290.29
9	हिमाचल प्रदेश	195.39	195.39	270.56	270.56
10	#Jज्म्मू-कश्मीर	373.96	367.72	517.81	0.00
11	झारखंड	652.83	652.83	903.96	451.98
12	#कर्नाटक	1002.85	972.36	1388.62	1368.20
13	केरल	433.76	433.76	600.62	0.00
14	मध्य प्रदेश	1463.61	1463.61	2026.62	1013.31
15	महाराष्ट्र	1623.32	1623.32	2247.77	1123.88
16	मणिपुर	22.25	22.25	30.80	15.40
17	ओडिशा	955.52	955.52	1323.09	1323.09
18	पंजाब	441.70	441.70	611.61	0.00
19	राजस्थान	1471.95	1471.95	2038.17	2038.17
20	सिक्किम	16.03	16.04	22.20	11.10
21	तमिलनाडु	947.65	947.65	1312.19	656.10
22	तेलंगाना	580.34	580.34	803.58	401.79
23	त्रिपुरा	36.24	36.24	50.18	25.09
24	#उत्तर प्रदेश	3862.60	3852.60	5348.45	2667.29
25	उत्तराखंड	203.26	203.26	281.45	281.45
26	पश्चिम बंगाल	1532.21	735.43	2121.61	0.00
	कुल	**21624.46**	**20475.41**	**29942.87**	**13617.89**

नोट: सूचना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्मुक्ति आदेश के आधार पर संकलित किया गया है।

* एफएफसी द्वारा सिफारिश किए गए रूप में

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यथानुपात आधार पर निर्मुक्त।

<u>अनुबंध-VI</u>

पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामों का संतुलित विकास के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 557 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि : विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार निर्मुक्तियां

(इसमें विकास संबंधी गतिविधियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को भी अंतरित निधियां शामिल हैं)

(रू. करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1.	आंध्र प्रदेश	325.62	43.80	वर्ष 2015-16 से बीआरजीएफ कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार की बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया है ।
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	15.35	
3.	असम	76.40	139.41	
4.	बिहार	485.80	206.52	
5.	छत्तीसगढ़	192.56	218.26	
6.	गुजरात	42.87	65.07	
7.	हरियाणा	26.41	12.98	
8.	हिमाचल प्रदेश	27.79	11.92	
9.	जम्मू-कश्मीर	20.40	45.67	
10.	झारखंड	40.85	281.75	
11.	कर्नाटक	71.22	46.53	
12.	केरल	0.00	29.20	
13.	मध्य प्रदेश	279.21	221.22	
14.	महाराष्ट्र	246.82	236.14	
15.	मणिपुर	39.83	36.76	
16.	मेघालय	32.41	2.56	
17.	मिजोरम	25.36	24.39	
18.	नगालैंड	9.12	60.87	
19.	ओडिशा	283.63	179.46	
20.	पंजाब	0.00	14.87	
21.	राजस्थान	62.30	211.45	
22.	सिक्किम	8.68	12.32	
23.	तमिलनाडु	94.42	42.42	
24.	तेलंगाना *	0.00	89.42	
25.	त्रिपुरा	13.04	12.63	
26.	उत्तर प्रदेश	273.35	346.86	
27.	उत्तराखंड	22.79	2.53	
28.	पश्चिम बंगाल	99.12	226.64	
कुल		**2800.00**	**2837.00**	

*वर्ष 2014-15 के दौरान आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना बना ।